



कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) का कार्यालय
याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा।

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या
62411

भल्पकमलीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या - 01 वर्ष 2017-18

12/04/18

कार्यपालक अभियंता (याँ0), याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के अधीन वर्ष 2017-18 के लिये अधीक्षण अभियंता (याँ0), याँत्रिक अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य हेतु एक वाहन यथा विक्टा (ए0सी0)/बोलेरो (ए0सी0)/सूमो (ए0सी0)/स्कार्पियो (ए0सी0) ईंधन रहित किराया पर उपलब्ध कराने हेतु मुहर बन्द कोटेशन निम्नांकित शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 25.04.2017 को 3.00 बजे अपराहण तक सहायक अभियंता (याँ0), याँत्रिक अवर प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा एवं कार्यपालक अभियंता (याँ0), याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी एवं प्राप्त कोटेशन उसी दिन दिनांक 25.04.2017 को 3.30 बजे अपराहण दोनो कार्यालय में सक्षम पदाधिकारी द्वारा को कोटेशन दाता अथवा उनके प्राधिकृत अभिकर्ता के सक्षम खोली जायेगी। सक्षम पदाधिकारी से कोटेशन स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया जायेगा।

1. वाहन का प्रकार - विक्टा (ए0सी0)/बोलेरो (ए0सी0)/सूमो (ए0सी0)/स्कार्पियो (ए0सी0)
2. वाहन की संख्या - (01 अदद) अधीक्षण अभियंता (याँ0), याँत्रिक अंचल, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य हेतु।
3. वाहन चालक सहित होगा एवं चालक का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जायेगा।
4. वाहन अच्छी हालत में होनी चाहिये।
5. वाहन रख-रखाव वाहन मालिक/कोटेशन दाता को ही करना होगा।
6. वाहन का भाड़ा प्रतिमाह (ईंधन रहित) सभी कर सहित अंकित करना होगा।
7. वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक/कोटेशन दाता का दायित्व होगा की दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगे अन्यथा निर्धारित भाड़े की राशि में से 10 प्रतिशत कटौती की ली जायेगी।
8. कोटेशन दाता को वैध पहचान पत्र/पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
9. वाहन की उपयोग पूर्व में किसी भी अवैध कार्य में नहीं किया गया है से संबंधित प्रमाण पत्र वाहन मालिक द्वारा कार्य आदेश निर्गत करने के समय प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात ही कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा।
10. वाहन चालक के पास अध्यतन एवं वैध ड्राईभिग लाईसेंस का होना अनिवार्य होगा। जिसे कार्य आदेश निर्गत करने के समय प्रस्तुत करना होगा।
11. वाहन की सुरक्षा वाहन चालक/वाहन मालिक/कोटेशनदाता की होगी।
12. कोटेशन का दर एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2017-18) के लिये मान्य होगा।
13. वाहन की प्रतिदिन की गणना शून्य काल से रात्रि के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगा।
14. वाहन का भाड़ा का भुगतान इस कार्य हेतु प्राप्त आवंटन से किया जायेगा एवं इस संबंध में कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।
15. सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।
16. वाहन उपलब्ध कराने के बाद वाहन का रख-रखाव ससमय नहीं करने अथवा वाहन चालक का ब्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर बिना कारण बताये वाहन हटा दिया जायेगा एवं इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. वाहन वीमित (इनस्योर्ड होना चाहिये तथा परिवहन विभाग के नियम के अनुसार वाहन से संबंधित सभी टैक्स की भरपाई/भुगतान/जमा अध्यतन होना चाहिये।
18. वाहन के उपयोग के लिये लॉग बूक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रवृष्टि करेगे जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

574
13/04/18

19. कोटेशन दाता का दर अनुमोदित होने के उपरान्त गाडी का निबंधन प्रमाण पत्र तथा वाहन चालक को वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस की सत्यापित प्रति कार्यालय में जमा करना होगा तभी भुगतान किया जायेगा ।
20. किसी भी समय बिना कारण बताये कोटेशन रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
21. किसी भी सूचना के लिये पथ निर्माण विभाग के हेल्प लाईन नं० 18003456161 पर सम्पर्क किया जा सकता है अथवा www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है ।

30/—
कार्यपालक अभियंता (याँ०)
याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,
दरभंगा ।

ज्ञापांक... 124/मन०... दरभंगा / दिनांक... 10-04-2017

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (अनुश्रवन), याँत्रिक उपभोग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु समर्पित ।

अनु० :- सी०डी०

विश्वकर्मा अरुण
13/4/17

IT, Manager
Ravi Kant
13/4/17

18/4/17
कार्यपालक अभियंता (याँ०)
याँत्रिक प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,
दरभंगा ।